न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 92/2021

1. नवाब खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
2. निजाम खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
3. युसुफ खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
4. शमशेर खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
5. सिकन्दर खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
6. इसाक खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर

वादी

बनाम

1. मुमताज अली खां पुत्र अस्त अली खां जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
2. नयुम खान पुत्र मजीद खान जाति कायमखानी निवासी हमीरवास तहसील मलसीसर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धोषणार्थ

निर्णय

निर्णय दिनांक 11.04.2022

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बिरमी की सरहद में हाल ख0न0 106 रकबा 1.52 है0 भूमि अवस्थित है। जो प्रतिवादी संख्या 1 मुमताज अली खां पुत्र अस्त अली खां की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। जिसे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मजीदखान ने दिनांक 05.07.2011 को जरिये विक्रय पत्र मुमताज अली खां से क्रय कर लिया था। और विक्रय पत्र उपपंजीयक झुझुनू से दिनांक 05.07.2011 को तस्दीक करवा दिया गया था। तब से उक्त भूमि पर वादीगण के पिता का कब्जा चला आ रहा है। ओर वादीगण के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा है। लेकिन उक्त क्रयशुदा भूमि का राजस्व अभिलेख में नाम वादीगण के पिता मजीद खान के नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण के पिता मजीद खान के स्वर्गवास के पश्चात मजीद खान के वारिसों के नाम भी दर्ज नहीं हा पाया। अंत में वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2011 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना इकबाली जवाब एवंराजीनामा पेश कर राजीनामा के आधार पर वादपत्र में वर्णितानुसार वाद डिक्री किये जाने पर अपनी सहमती पेश की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब पर गौर किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब एवं पक्षकारान के मध्य हुये

राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम बिरमी की सरहद में स्थित हाल भूमि ख0न0 106 रकबा 1.52 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 मुमताज अली खां पुत्र अस्त अली खां का नाम हजफ कर विक्रय पत्र दिनांक 05.07.2011 के अनुसार मजीद खान के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर